सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1530/DL/3/2023-APCR   Date : 22.05.2024

सेवा मे,

श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी के साथ उनके वरिष्ठ आधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा दुर्व्यवहार, क्रूरता एवं जाति सूचक शब्दों द्वारा प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में एफ.आई.आर .दर्ज करवाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुमनलता बाई, मकान न .449, गली न .2, अम्बेडकर नगर, हैदर पुर, दिल्ली की शिकायत

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

<u>प्रतिलिपि</u>:

श्रीमती सुमनलता बाई,
मकान न .449,
गली न .2 , अम्बेडकर नगर,
हैदर पुर, दिल्ली -110088
मो न :6350328803

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NCST/ATY-1530/DL/3/2023-APCR

श्री राजपाल दबास, सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस द्वारा श्रीमती सुमनलता बाई, H.No.-449, Gali No.-2, अंबेडकर नगर, हैदरपुर, नई दिल्ली, के साथ अभद्र व्यवहार करने, जातिसूचक शब्दों द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की तिथि : 10.05.2024 - 12:00 Noon
सिटिंग मे उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्रीमती सुमनलता बाई, मकान न .449, गली न .2 , अम्बेडकर नगर, हैदरपुर, दिल्ली से दिनांक- 30-06-2023 का आयोग को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि वह दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर गर्भवती अवस्था में अपनी ड्यूटी कर रही थीं कि दिनांक 16/05/23 को ड्यूटी के समय अचानक उनके पेट में असहनीय दर्द हुआ ,जिसके चलते उनके सहकर्मियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी मँगवाई। उनके साथ एक केयरटेकर भेजा, दोनों गाड़ी में बैठे और हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, तभी उनको सहायक पुलिस आयुक्त श्री राजपाल दबास द्वारा रोक लिया गया और उनको गाड़ी से उतार कर जातिगत शब्दों से प्रताड़ित कर पैदल जाने पर मजबूर किया जिसके चलते उनका स्वास्थ खराब हो गया जिसके कारण उनके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गयी उन्होंने इसकी शिकायत कई वरिष्ठ अधिकारियो को की लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसलिए उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि आयोग इस मामले में उनको इंसाफ दिलवाएं और आरोपियों पर कार्रवाई करे|

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 7 दिन की अवधि मे रिपोर्ट मंगाने के किए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 28/06/2023 को नोटिस भेजा गया था जिसके संबंध में दिल्ली पुलिस से दिनांक 12.02.2023 का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने श्री राजपाल दबास, सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस के खिलाफ सभी आरोपों को गलत बताया।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पुलिस आयुक्त, श्री संजय अरोरा, दिल्ली पुलिस के साथ आयोग मे सुनवाई/मीटिंग तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई मेपुलिस आयुक्त की ओर से श्री अभिषेक धनिया, डी.सी.पी. सतर्कता, दिल्ली पुलिस व सहयोगी श्री विरंदर कुमार ए.सी.पी. सतर्कता की ओर से उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। डी श्री अभिषेक धनिया, डी.सी.पी. सतर्कता, दिल्ली पुलिस ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए।

Contd...P/2

5. आयोग द्वारा मामले के संबद्ध यह भी पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक अन्य कर्मचारी ने भी आयोग में उपरोक्त अधिकारी की शिकायत की हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि संबन्धित सहायक पुलिस आयुक्त कथित दुर्व्यवहार का आदी है।

5. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती हैं:-

- पुलिस द्वारा कि गयी जांच कार्रवाई की रिपोर्ट (मय प्रमाण) प्रस्तुत की जाए।
- श्री राजपाल दबास, सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस का 15 दिनों में स्थानांतरण किया जाए।
- उन्हें अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी जाए।
- आयोग को 7 दिनों के भीतर केस की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट दी जाए।
- भविष्य में आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट 7 दिन की अवधि मे आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-1530/DL/3/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Smt. Miranda Ingudam
Director

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police

Shri Abhishek Dhania
DCP/Vigilance

Shri Virander Kumar
ACP/Vigilance

Petitioner

NIL